संख्या-160/2016/818/22-2-2016-17(210)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविकान्त मौर्य पुत्र श्री छोट लाल मौर्य निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविकान्त मौर्य पुत्र श्री छोटे लाल मौर्य, निवासी ग्राम-अमारी, थाना-अतरौलिया, जनपद-आजमगढ़ का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.04.2009 की सायं लगभग 06:00 बजे अपनी पत्नी सविता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-146/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.03.2012 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 06 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी यदि समयपूर्व जेल से छूटेगा तो पीडित पक्ष में बदले की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सजा की पूर्ण अवधि तक बन्दी को जेल में निरूद्ध रखा जाना उचित होगा, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी रविकान्त मौर्य पुत्र श्री छोटे लाल मौर्य को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रविकान्त मौर्य (बन्दी संख्या-168/12) पुत्र श्री छोटे लाल मौर्य निवासी जनपद-आजमगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-160/2016/818(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-160/2016/818@22-2-2016-17(210)/2016

दिनांक 22 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, आजमगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रविकान्त मौर्य पुत्र श्री छोट लाल मौर्य, निवासी ग्राम-अमारी, थाना-अतरौलिया, जनपद-आजमगढ़ का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने के कारण 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 21.04.2009 की सायं लगभग 06:00 बजे अपनी पत्नी सविता पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-146/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 201 एवं 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-1, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.03.2012 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-09-2015 तक 06 वर्ष 04 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को प्रभावित करता है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी यदि समयपूर्व जेल से छूटेगा तो पीड़ित पक्ष में बदले की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सजा की पूर्ण अवधि तक बन्दी को जेल में निरूद्ध रखा जाना उचित होगा, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबशेन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी रविकान्त मौर्य पुत्र श्री छोटे लाल मौर्य को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in